

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म० प्र०)



निगरानी - 3966/2018/रीवा/श्रु० 25

- 01 - श्रीमती राजवती मिश्रा पति श्री राजकुमार मिश्र उम्र 50 वर्ष
- 02 - राजकुमार मिश्र पिता श्री जागेश्वर प्रसाद मिश्र उम्र 52 वर्ष

सभी निवासी ग्राम पहरखा थाना व तहसील नईगढ़ी जिला रीवा  
म०प्र०.....निगरानीकर्तागण

बनाम

- रमाकान्त पिता श्री जागेश्वर प्रसाद मिश्र उम्र 55 वर्ष।
- 02 - रामजी पिता श्री जागेश्वर प्रसाद मिश्र उम्र 40 वर्ष।
- 03 - प्रेमजी पिता श्री जागेश्वर प्रसाद मिश्र उम्र 38 वर्ष।
- 04 - श्यामजी पिता श्री जागेश्वर प्रसाद मिश्र उम्र 30 वर्ष।
- 05 - अंबिका प्रसाद पिता श्री केशव प्रसाद उम्र 80 वर्ष।
- 06 - मिथिला प्रसाद पिता श्री केशव प्रसाद उम्र 75 वर्ष।
- 07 - श्रीमती गुलाबवती पति स्व० श्री जागेश्वर प्रसाद मिश्र उम्र 60 वर्ष।

उपरोक्त सभी निवासी ग्राम पहरखा पो०ऑ० भरिगवॉ थाना व  
तहसील नईगढ़ी जिला रीवा (म० प्र०).....गैर निगरानीकर्तागण

अनुविभागीय अधिकारी महोदय  
मऊगंज जिला रीवा (म० प्र०)द्वारा  
अपील प्रकरण क्रमांक-27-अ  
6/13-14 में पारित आदेश

वकील  
काज दि. 28/6/18 को  
द्वारा प्राथमिक दफ्तरे में  
निक. 02/7/18 नियत।  
रमाकान्त 28-6-18  
राजस्व मण्डल, ब.प्र. ग्वालियर

Ms  
K. SHUKLA  
ADVOCATE  
28/06/18


*(Handwritten signature)*

**न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर**

(22)

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक 901-3966/18/रा.वा./2018 राजवती/राजवती

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
7/11/19	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>वी. ए. शर्मा</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी <u>श. उ. उ. उ.</u> के प्रकरण क्रमांक <u>27/3-6/13-14</u> में पारित आदेश दिनांक <u>8-5-18</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला <u>रा.वा.</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>22/4/19</u> को कलेक्टर जिला <u>रा.वा.</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p align="right"> सदस्य</p>	

